संख्या-32/2026/102/60-1-2026

(सी-1985630) (पार्ट-1)

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 01 जुलाई, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु केन्द्र पुरोनिधानित योजना मिशन वात्सल्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-705/निदे0म0क0/प्रोबे0/रा0सम्प्रे0गृ0-बजट-21/2026-27, दिनांक 23.06.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में केन्द्र पुरोनिधानित मिशन वात्सल्य योजना (के०.+रा०.) की विभिन्न उप योजनाओं हेतु द्वितीय किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी Mother Sanction की धनराशि रू० 8,83,82,100/- तथा संगत राज्यांश की धनराशि रू० 5,89,21,400/- अर्थात कुल धनराशि (के०.+रा०.) रू० 14,73,03,500/- (रुपये चौदह करोड़ तिहत्तर लाख तीन हजार पॉच सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये निदेशक, महिला कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 एवं 26.09.2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) निदेशक, महिला कल्याण केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में केन्द्रांश की धनराशि सीधे योजना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में खुले खाते में प्राप्त होगी। अतएव इन योजनाओं में प्राप्त केन्द्रांश की पुष्टि वित्त विभाग से कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः योजनान्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के संबंध में निदेशक, महिला कल्याण स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

(9) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों में यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना के अन्तर्गत आच्छादित सभी मदों/घटकों का उल्लेख स्पष्ट रूप से वित्तीय स्वीकृति में करते हुए SNA को प्रेषित की जायेगी तथा SNA द्वारा विभिन्न स्तरों पर (इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी तक) लिमिट आवंटित की जायेगी तथा वित्तीय स्वीकृति की प्रतिलिपि साइबर ट्रेजरी के वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(10) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा समस्त बिलों का परीक्षण इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी एवं जनपदीय एडमिन द्वारा किया जायेगा, अतः SNA स्तर पर पुनः परीक्षण की आवश्कता नहीं होगी। SNA द्वारा मात्र समेकित बिल का अग्रसारण किया जायेगा। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार बिल साइबर ट्रेजरी को अग्रेषित किये जायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष:2235021020106 (बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	संख्या			
1	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	07 मानदेय	1,34,40,000 (रुपये एक करोड़ चौंतीस लाख चालीस हजार मात्र)
2	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	9,57,525 (रुपये नौ लाख सत्तावन हजार पाँच सौ पच्चीस मात्र)
	कुल			1,43,97,525 (रुपये एक करोड़ तैंतालीस लाख सत्तानबे हजार पाँच सौ पच्चीस मात्र)

लेखाशीर्ष:2235021020107 (स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमन्द बालकों के लिये खुले आश्रय गृह (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020107 स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमन्द बालकों के लिये खुले आश्रय गृह (के.60/रा.40-के.+ रा.)	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)
	कुल			60,00,000 (रुपये साठ लाख मात्र)

लेखाशीर्ष:2235021020110 (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.+ रा.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	34,00,000 (रुपये चौंतीस लाख मात्र)
2	049	2235021020110	20	1,25,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.+ रा.)	सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	(रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
3	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.+ रा.)	39 औषधि तथा रसायन	15,39,000 (रुपये पन्द्रह लाख उनतालीस हजार मात्र)
4	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.+ रा.)	41 भोजन व्यय	18,37,200 (रुपये अठारह लाख सैंतीस हजार दो सौ मात्र)
	कुल			1,92,76,200 (रुपये एक करोड़ बानबे लाख छिहत्तर हजार दो सौ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020112 (विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	21,60,000 (रुपये इक्कीस लाख साठ हजार मात्र)
2	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	41 भोजन व्यय	18,00,000 (रुपये अठारह लाख मात्र)
3	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	54,40,000 (रुपये चौवन लाख चालीस हजार मात्र)
	कुल			94,00,000 (रुपये चौरानबे लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

				मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020114 (किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020114 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन (के.60/रा.40-के.+ रा.)	61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	4,99,55,997 (रुपये चार करोड़ निन्यानबे लाख पचपन हजार नौ सौ सत्तानबे मात्र)
	कुल			4,99,55,997 (रुपये चार करोड़ निन्यानबे लाख पचपन हजार नौ सौ सत्तानबे मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020115 (बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	59,10,000 (रुपये उनसठ लाख दस हजार मात्र)
2	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,10,76,000 (रुपये एक करोड़ दस लाख छिहत्तर हजार मात्र)
	कुल			1,69,86,000 (रुपये एक करोड़ उनहत्तर लाख छियासी हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्ष: 2235021020117 (स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका) का संचालन (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020117 स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका) का संचालन (के.60/रा.40-के.+ रा.)	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	2,51,00,000 (रुपये दो करोड़ इक्यावन लाख मात्र)
	कुल			2,51,00,000 (रुपये दो करोड़ इक्यावन लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020121 (दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020121 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के.60/रा.40-के.+ रा.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5,87,778 (रुपये पाँच लाख सत्तासी हजार सात सौ अठहत्तर मात्र)
	कुल			5,87,778 (रुपये पाँच लाख सत्तासी हजार सात सौ अठहत्तर मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020122 (किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020122 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	56,00,000 (रुपये छप्पन लाख मात्र)
	कुल			56,00,000 (रुपये छप्पन लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

महायोग	**14,73,03,500** **(रुपये चौदह करोड़ तिहत्तर लाख तीन हजार पाँच सौ मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू०ओ० संख्या E-4-45-X-2026-27, दिनांक 01.07.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित साइबर कोषागार।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।